न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 57/2018

1 सुलतान पुत्र लखु।
2 विधाधर पुत्र लखु।
3 श्रवण कुमार पुत्र झाबर।
4 रोहिताश पुत्र झाबर।
5 महावीर पुत्र भगवाना समस्त जाति जाट निवासीगण डुडियों की ढ़ाणी तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 विरेन्द्र पुत्र बोयत।
2 बन्नेसिंह पुत्र लखु तथाकथित दतक पुत्र भैरूसिंह।
3 प्रभाती पुत्री लखु।
4 कमला पुत्री लखु।
5 सावित्री पुत्री लखु।
6 मुकेश कुमार पुत्र झाबर।
7 ज्याना स्त्री झाबर।
8 घोटी पुत्री भगवाना।
9 श्रीराम पुत्र चिमना।
10 उम्मेद पुत्र चिमना।
11 मुलाराम पुत्र पेमाराम।
12 नेमीचन्द पुत्र रामेश्वर।
13 बालुराम पुत्र रामेश्वर।
14 मनीराम पुत्र रामेश्वर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

15 श्याना पुत्री रामेश्वर।
16 भागोती पुत्री रामेश्वर।
17 मन्नी पुत्री रामेश्वर।
18 प्रभु देवी स्त्री नौरंग।
19 नरेन्द्र पुत्र हरफुल।
20 मुकेश पुत्र हरफुल।
21 परमेश्वरी स्त्री हरफुल।
22 बीरबल पुत्र कुम्भाराम।
23 शिशराम पुत्र कुम्भाराम समस्त जाति जाट निवासीगण डुडियों की ढ़ाणी तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
24 सुमेर पुत्र झाबर जाति जाट निवासी गिलो की ढ़ाणी तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
25 रमेश कुमार दतक पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी डुडियों की ढ़ाणी तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
26 झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गुढ़ा गौडजी जरिये शाखा प्रबन्धक।
27 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गुढ़ा गौड़जी जरिये शाखा प्रबन्धक।
28 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 08.06.2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी विरेन्द्र बनाम बन्नेसिंह मुकदमा नम्बर 232/2014 दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 58/2018

1 सुलतान पुत्र लखु।
2 विधाधर पुत्र लखु।
3 श्रवण कुमार पुत्र झाबर।
4 रोहिताश पुत्र झाबर।
5 महावीर पुत्र भगवाना समस्त जाति जाट निवासीगण डुडियों की ढ़ाणी तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 विरेन्द्र पुत्र बोयत।
2 बन्नेसिंह पुत्र लखु तथाकथित दतक पुत्र भैरूसिंह।
3 प्रभाती पुत्री लखु।
4 कमला पुत्री लखु।
5 सावित्री पुत्री लखु।
6 मुकेश कुमार पुत्र झाबर।
7 ज्याना स्त्री झाबर।
8 घोटी पुत्री भगवाना।
9 श्रीराम पुत्र चिमना।
10 उम्मेद पुत्र चिमना।
11 मुलाराम पुत्र पेमाराम।
12 नेमीचन्द पुत्र रामेश्वर।
13 बालुराम पुत्र रामेश्वर।
14 मनीराम पुत्र रामेश्वर।
15 श्याना पुत्री रामेश्वर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

16 भागोती पुत्री रामेश्वर।
17 मन्नी पुत्री रामेश्वर।
18 प्रभु देवी स्त्री नौरंग।
19 नरेन्द्र पुत्र हरफुल।
20 मुकेश पुत्र हरफुल।
21 परमेश्वरी स्त्री हरफुल।
22 बीरबल पुत्र कुम्भाराम।
23 शिशराम पुत्र कुम्भाराम समस्त जाति जाट निवासीगण डुडियों की ढ़ाणी तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
24 सुमेर पुत्र झाबर जाति जाट निवासी गिलो की ढ़ाणी तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
25 रमेश कुमार दतक पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी डुडियों की ढ़ाणी तन सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
26 झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा गुढ़ा गौडजी जरिये शाखा प्रबन्धक।
27 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गुढ़ा गौड़जी जरिये शाखा प्रबन्धक।
28 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व प्रथम डिक्री दिनांक 04.01.2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी विरेन्द्र बनाम बन्नेसिंह मुकदमा नम्बर 232/2014 दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री धीरज कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 25.03.2021

यह दोनो अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा संख्या 232/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 08.06.2018 एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.01.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलीयों के विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की पत्रावली दोनो पत्रावलियों में अलग—अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1391/636 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1392/693 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1394/693 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1395/694 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1397/696 रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1398/696 रकबा 1.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1400/699 रकबा 0.96 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम सिंगनौर तहत तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है तथा ग्राम सिंगनौर के दुसरे खाता में जमीन हाल खसरा नम्बर 637 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 638 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 639 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 640 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 641 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 642 रकबा 3.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 646 रकबा 1.92 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 653 रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 659 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 689 रकबा 3.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 690 रकबा 0.12 हैक्टेयर,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खसरा नम्बर 691 रकबा 1.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 692 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 695 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 697 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 698 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1101/659 रकबा 0.30 हैक्टेयर स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसकी माता मृतक मन्नीदेवी ने एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया उक्त दावा को अदालत मातहत ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.01.2018 को पारित कर दिनांक 08.06.2018 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नहीं की। अदालत मातहत ने बिना प्रर्याप्त आधार के तथा बिना नोटिस जारी किये अपीलांट की तामील गलत रूप से प्रर्याप्त मानने में कानुनी गलती की है दावा के अपीलांट को कभी नोटिस नहीं मिले तथा ना ही तामील बाबत कोई रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त हुआ। अपीलांट की तामील गलत रूप से मानकर बिना जवाब देही व बिना साक्ष्य सबुत का अवसर दिये गलत रूप से निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांकित 08.06.2018 पारित करने में कानूनी गलती की है। कानून से सभी सह खातेदारों की संयुक्त जमीन का एक साथ विभाजन होना कानूनन आवश्यक है। अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने घोषणा का दावा पेश नहीं किया। बिना घोषणा के दावा के रोस्पोडेंट बन्नेसिंह व विरेन्द्र व रमेश कुमार को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्सा व कब्जा काश्त से हटकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्सा से अधिक जमीन गलत रूप से दी गई है तथा अपीलांट का हक हिस्सा गलत रूप से कम किया गया है। अदालत मातहत के समक्ष पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांकित 04.01.2018 मे लिखा है कि रेस्पोडेंट विरेन्द्र व बन्नेसिंह व रमेश कुमार का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्तों का प्रावधान रखते हुये विधिवत विभाजन किया जावे। उपरोक्त प्रकार से निर्णय व प्राथमिक डिक्री के आदेश की बिना पालना किये बंटवारा में हक हिस्सा से अधिक जमीन बिना किसी आधार के मनमर्जी से बंटवारा में अधिक जमीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

गलत रूप से दी गई है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री गलत होने से खारिज होने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव अपीलांट्स की मौजुदगी में नहीं बनाये जाने तथा विभाजन प्रस्ताव में मनमर्जी से रास्ते दिये गये है। जबकि रेस्पोडेंट विरेन्द्र, बन्नेसिंह व रमेश के खेतों के पहले से ही रास्ते लगते है। रेस्पोडेंट विरेन्द्र बन्नेसिंह व रमेश को बिना कब्जा काश्त के मनमर्जी से अच्छी जमीन दी गई है तथा रिहायशी जमीन में भी गलत रूप से जमीन दी है। न्यायालय के निर्णय से हटकर तहसीलदार किसी व्यक्ति की जमीन कम या अधिक नहीं कर सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने दोनो अपीले स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है विचारण न्यायालय द्वारा जरिये रजिस्र्ड नोटिस तामील भिजवाई गई है। इसके उपरान्त अपीलांट के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की गई है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 07.09.2017 तक तलवी में चल रही थी। दिनांक 07.09.2017 को जरिये रजिस्ट्री तामील जारी की गई है। दिनांक 21.12.2017 को रजिस्ट्री जारी हुये एक माह होना मानकर तामील पर्याप्त मानी जाकर अपीलांट्स के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश हुये है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में रजिस्टर्ड ए.डी. लौटने की कोई साक्ष्य नही है, अपीलांट को नोटिस प्राप्त होने की कोई सूचना नही है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार अपीलांट के नोटिस अखबार से तामील करवाने के आदेश पारित किये जाने चाहिए थे। विचारण न्यायालय द्वारा तामीली कार्यवाही विधि अनुसार नही कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यहां यह भी विचारणीय है कि कानून से सभी सह खातेदारों की संयुक्त जमीन का एक साथ विभाजन होना कानूनन आवश्यक है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने घोषणा का दावा पेश नहीं किया। बिना घोषणा के दावा के रोस्पोडेंट बन्नेसिंह व विरेन्द्र व रमेश कुमार को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्सा व कब्जा काश्त से हटकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्सा से अधिक जमीन गलत रूप से दी गई है तथा अपीलांट का हक हिस्सा गलत रूप से कम किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांकित 04.01.2018 मे लिखा है कि रेस्पोडेंट विरेन्द्र व बन्नेसिंह व रमेश कुमार का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्तों का प्रावधान रखते हुये विधिवत विभाजन किया जावे। उपरोक्त प्रकार से निर्णय व प्राथमिक डिक्री के आदेश की बिना पालना किये बंटवारा में हक हिस्सा से अधिक जमीन बिना किसी आधार के मनमर्जी से बंटवारा में अधिक जमीन गलत रूप से दी गई है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री गलत होने से खारिज होने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव अपीलांट्स की मौजुदगी में नहीं बनाये जाने तथा विभाजन प्रस्ताव में मनमर्जी से रास्ते दिये गये है। जबकि अपीलांट की आपत्ति है कि रेस्पोडेंट विरेन्द्र, बन्नेसिंह व रमेश के खेतों के पहले से ही रास्ते लगते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.04.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर